

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र	RAJASTHAN GAZETTE
	विशेषांक	Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 9, गुरुवार, शाके 1938—जून 30, 2016 Asadha 9, Thursday, Saka 1938—June 30, 2016	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (DMIC) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 30, 2016

एस.ओ.50 :- राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 13) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा जुलाई, 2016 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[संख्या एफ. 15(2)/डीएमआईसी/विविध/2016/वि. वि. री. अधिनियम/2016]

राज्यपाल के आदेश से,

निहाल चन्द गोयल

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

Department of Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)

NOTIFICATION

Jaipur, June 30, 2016

S.O.50 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Rajasthan Special Investment Regions Act, 2016 (Act No. 13 of 2016), the State Government hereby appoints 1st day of July, 2016 as the date, on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F.15(2)/DMIC/MISC/2016/SIR Act /2016]

By Order of the Governor,

Nihal Chand Goel,

Additional Chief Secretary to the Government.